संख्या- 105 /2023/ 769 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 14 मार्च, 2023

विषय- दिनांक 04 जून, 2022 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के गोरखपुर आगमन के अवसर पर शोभा यात्रा/ सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0- 4270 /सं0नि0-15(14)/2022-23 दिनांक 09 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 04 जून, 2022 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के गोरखपुर आगमन के अवसर पर शोभा यात्रा/ सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए वास्तविक व्यय रू0 5,30,049.00 (रूपये पांच लाख तीस हजार उनचास मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 60/2023/483/चार-2023 दिनांक 20 फरवरी, 2023 द्वारा पूर्व में स्वीकृत रू0 4,32,840.00 के क्रम में अवशेष धनराशि रू0 97,209.00 (रू0 सत्तानवे हजार दो सौ नौ मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 60/2023/483/चार-2023 दिनांक 20 फरवरी, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि इसके संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला तथा संस्कृति- 001- निदेशन एवं प्रशासन- 03- संस्कृति निदेशालय- 42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 105 /2023/ 769 (1) /चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in